

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक C-361 /स0क0/नशा विरोधी पखवाड़ा/2024-25 दिनांक 19 जून 2024

1-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।


2-जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।

विषय- दिनांक 20-06-2024 को होने वाले नशा मुक्त पखवाड़ा के लिए विशेष जागरूकता सत्र एवं रिकार्ड ई-प्रतिज्ञा के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी-262 दिनांक 13 जून 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27-05-2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में नशा मुक्ति पखवाड़ा के दौरान दिनांक 20-06-2024 को विशेष जागरूकता सत्र एवं रिकार्ड ई-प्रतिज्ञा के पंजीकरण के सम्बन्ध में सभी शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए एक घंटे के सत्र प्रसारण में भागीदारी कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नशा विरोधी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 20-06-2024 को विशेष जागरूकता सत्र एवं रिकार्ड ई-प्रतिज्ञा लिंक <https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/> पर व्यापक प्रचार एवं भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लखनऊ के अधिकारिक Youtube चैनल - NCB Lucknow पर दिनांक 20.06.2024 को एक घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा जन जागरूकता सत्र कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों आदि को स्वस्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त जागरूकता सत्र कार्यक्रम से प्रतिभागियों की संख्या/ कार्यक्रम की सूचना कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ के कार्यालय वाट्सएप नम्बर 7668179991 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(नूपुर गोयल)

मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन सं०

तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ।

2-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, मेरठ।

4-जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को प्रचार-प्रसार हेतु।

5-जिला मद्यनिषेध अधिकारी, मेरठ।

6-जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

7-समस्त कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य, राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र समस्त शिक्षण संस्थान, जनपद मेरठ को उपरोक्त क्रम में अनुपालनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक /स0क0/नशा विरोधी पखवाड़ा/2024-25 दिनांक जून 2024

1-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

2-जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।

विषय- दिनांक 20-06-2024 को होने वाले नशा मुक्त पखवाड़ा के लिए विशेष जागरूकता सत्र एवं रिकार्ड ई-प्रतिज्ञा के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी-262 दिनांक 13 जून 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27-05-2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में नशा मुक्ति पखवाड़ा के दौरान दिनांक 20-06-2024 को विशेष जागरूकता सत्र एवं रिकार्ड ई-प्रतिज्ञा के पंजीकरण के सम्बन्ध में सभी शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए एक घंटे के सत्र प्रसारण में भागीदारी कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नशा विरोधी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 20-06-2024 को विशेष जागरूकता सत्र एवं रिकार्ड ई-प्रतिज्ञा लिंक <https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/> पर व्यापक प्रचार एवं भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लखनऊ के अधिकारिक Youtube चैनल - NCB Lucknow पर दिनांक 20.06.2024 को एक घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा जन जागरूकता सत्र कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों आदि को स्वस्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त जागरूकता सत्र कार्यक्रम से प्रतिभागियों की संख्या/ कार्यक्रम की सूचना कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ के कार्यालय वाट्सएप नम्बर 7668179991 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(नूपुर गोयल)

मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन सं0 C-361 तद दिनांक 19-6-2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ।

2-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।


3- जिलाधिकारी, मेरठ।

4-जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को प्रचार-प्रसार हेतु।

5-जिला मद्यनिषेध अधिकारी, मेरठ।

6-जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

7-समस्त कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य, राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र समस्त शिक्षण संस्थान, जनपद मेरठ को उपरोक्त क्रम में अनुपालनार्थ।


मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।